

2



नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, खाली वर्णन केल्याची सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही शांत, सुवर्द्ध
सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा सुवर्द्ध अधिनियम क्रमांक २९) चा अन्वये

नागपूर येथील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रितीने
नोंदण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे नाव इंडीफ्लॉयड ग्रुप वेल्फेअर मल्टीपशपल
शोशाळी, नागपूर

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक पुढे - ११६५९ (ना.)
श्री. लालकृष्ण रामचंद्र तलसिक

आज दिनांक १३.२.१९९५ रोजी साह्या सहोनिशी विले.



सही
पदनाम
सहसंचालक धर्मदाय आयुक्त
नागपूर विभाग, नागपूर

No. 12638



नोंदणी प्रमाणपत्र

संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

(१८६० चा अधिनियम २१)

नोंदणी क्रमांक मठ/३२५/९४
नागपूर

याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, इंडियन युथ वेलफेअर

मल्टीपरपज सोसायटी, नागपूर

खालील वारचे संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० (सन १८६० चा अधिनियम २१) मन्वये योग्यरित्या नोंदणी करण्यात आली.

तारीख ४ मे १९९४ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.



य. द. न. कुल
संस्थांचे सहायक निबंधक,

नागपूर विभाग.

परिशिष्ट "ब"

"इंडीयन युथ वेलफेयर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का नाम। R. S.
Nagpur Region

मेमोरण्डम ऑफ असोशियेशन

- [१] संस्था का नाम : इस संस्था का नाम "इंडीयन युथ वेलफेयर मल्टीपरपज सोसायटी," नागपुर यह रहेगा ।
- [२] संस्था के कार्यालय : इस संस्था का कार्यालय ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर नागपुर - १०। श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर, नागपुर ११०
- [३] संस्था के उद्देश्य : संस्था द्वारा दलीत आदिवासी तथा आर्थिक दुर्लभ लोगो के सर्वांगीण विकास के हेतु शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा नैतिक, मानसिक वैधिक कार्य करना १०

शैक्षणिक :- संस्था द्वारा प्राथमरी, कॉनव्हेन्ट, हायस्कूल, महाविद्यालय, उच्चशिक्षण, आर्ट, कॉमर्स, सायन्स, सोसलसायन्स, लॉ, फीजीकल, मेडीकल, मेडीसीयन, फार्मसी, आयुर्वेदिक, हॉमोपैथीक, इंजिनियरींग टेक्नालॉजी, ट्येवताई टेकनिकल, कृषी, बिजनेस मैनेजमेंट, वसतीगृह, युवक कल्याण, मनुष्य विकास के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की योजना शिक्षा तथा शोध कार्य चलाना ।

सामाजिक :-

- [१] शिथिल बेरोजगार के विकास के हेतु आय.टी.आय.पॉलीटे-कनिक चलाना
- [२] किसान भाईयो के लिये तंत्रज्ञान, बीज, रासायणीक खत, जंजू नरसक दवाईयो के लिये प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।
- [३] बालकविकास के हेतु : पालना घर, बालक मंदीर, बालवाडी, आंगणवाडी आश्रमस्कूल, अनाशालय, वसतीगृह चलाना ।
- [४] वृध्दाश्रम, बेसहारा महिलाओं के लिये, वनिता विकास गृह, महिला आश्रम चलाना ।
- [५] समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाये शिवणकला, रूडाडरी नक्षीकाम, हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र अंध, अपंग, मंतीमद, दुर्लभ मनस्क, कृष्टरोग विकास के हेतु चादरी, संतरंजी, विनकाम तथा केनिंग प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।
- [६] गरीबों के लिये मोफ्त कानुनी सल्ला केंद्र चलाना तथा हुंशार और गरिब विद्यार्थीयो के लिये वाचणालय के मार्फत शालेय किताब, वर्तमान पत्रे उपलब्ध कश देना ।
- [७] पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु सामाजिक वनिकरण, वृध्दारोपण अंतर्गत आनेवाली योजनाये कार्यान्वीत करना ।

सांस्कृतिक :-

सांस्कृतिक विकास के हेतु गायण, वाद्यन, नृत्य, नाटक तथा अभिनय कला केंद्र तथा महा विद्यालय चलाना ।

शारीरिक :-

शारीरिक विकास के हेतु स्कूल, प्रशिक्षण केन्द्र, महा विद्यालय, देशी विदेशी, खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र, स्पोर्ट्स, ओलम्पिक स्पर्धा में भाग लेने के लिये टिम तयार करना और उसे प्रशिक्षण देना ।

भैतिक, मानसिक, बोधीक :-

लोगों को भैतिक मानसिक वैदिक विकास के हेतु, अध्यायन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, ज्ञान केंद्र, तथा वाचनालय चलाना । थोर पुस्तकों के विचारों का ज्ञान प्राप्त हेतु स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा जोतीबापुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन महापुस्तकों के महान विचारों का ज्ञान प्राप्त करना । प्रेक्षणीय स्थलों के सहेलीओं का आयोजन करके लोगों के पुरातन स्थलों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना

Prakash Khande

Khande

6 "इंडीयन युथ वेलफेयर मल्टीपरपज सोसायटी," नागपुर इस संस्था के संविधान नुसार संस्था के पहले कार्यकारी मंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य रहेंगे, जिनका संस्था के आधार संहिता [नियमावली] नुसार कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी तौपी जाती है। उस कार्यकारी मंडल के सदस्यों का पूरा नाम, पद, उम्र, व्यवसाय राष्ट्रीयत्व निम्नलिखित है।

| अ. क्र. | सदस्यों का पूरा नाम | पत्ता | आयु | व्यवसाय | पद | राज्य |
|---------|--------------------------------------|--|-----|--------------------|------------|-------|
| १] | श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक | ३६५ मौलाना आजाद मार्ग, गांधीनगर, नागपुर ३० | ६५ | तामाजिक कार्यकर्ता | अध्यक्ष भा | |
| २] | श्रीमती. सुमनताई बालकृष्ण वासनिक | -----" | ६० | घरकाम | उपाध्यक्ष | -- |
| ३] | श्री. पुष्पचंद्र मारोतराव डेलेकर | ४३/२ वैशालीनगर ६४ नागपुर-१७ | | तामाजिक कार्यकर्ता | सचिव | -- |
| ४] | श्रीमती. दिप्ती अमिताकर सक्सेना | पूर्वनरकेसरी ले आउटजयप्रकाशनगर, नागपुर २५ | ३२ | घरकाम | कोषाध्यक्ष | -- |
| ५] | श्री. सुश्रिलकुमार पुष्पचंद्र डेलेकर | ४३/२ वैशाली नगर २६ नागपुर. १६ | | तामाजिक कार्यकर्ता | सदस्यसचिव | -- |
| ६] | श्री. नारायण गोगलूजी मैश्राम | चॉक्स कॉलोनी नागपुर-१४ | ६६ | तामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य | -- |
| ७] | श्रीमती मीनाताई चंद्रकांत जावडेकर | "कमलप्रभा" धंतोली नागपुर | ५० | घरकाम | ----- | --- |
| ८] | श्रीमती लिलाताई सरजु मैश्राम | लडकरीबाग, नागपुर. नागपुर-१७. ४५ | | शिक्षिका | ----- | --- |
| ९] | श्रीमती सुनिता राजेन्द्र बाघमारे. | बारसे नगर, पांचपावली, नागपुर. | २८ | घरगुती | ----- | --- |

(५) हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता इंडीयन युथ वेल्फेयर मस्टीप त्यज सोसायटी, नागपुर संस्था के सदस्य मितकर घोषित करते है की, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत "इंडीयन युथ वेल्फेयर मस्टीप त्यज सोसायटी" नागपुर नामक संस्था की स्थापना हेतु इसकी पंजीकरण के इच्छुक है । हम एकत्रित होकर यह संस्था आज तारीख २.१.९४ को स्थापन कर उपरोक्त संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत पंजीयन करमे हेतु इस विधानपत्र पर हस्ताक्षर किये है ।

| अ.क्र. | सदस्यों का पूरा नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
|--------|--|-----------|
| १] | श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक, ३६५ मौलाना आजाद सोडा गांधीनगर, नागपुर-१० | |
| २] | श्रीमती. सुमनताई बालकृष्ण वासनिक, ३६५, मौलाना आजाद मार्ग, गांधीनगर, नागपुर-१० | |
| ३] | श्री. पुष्पचंद्र मारोतराव बेलकर, ४३/२, वैशालीनगर, नागपुर-१७. | |
| ४] | श्रीमती. दिप्ती अमितांकर सक्सेना, पूर्व नरकेशरी ले आऊट, जयप्रकाशनगर, नागपुर-२५ | |
| ५] | श्री. सुशीलकुमार पुष्पचंद्र बेलकर, ४३/२ वैशाली नगर, नागपुर-१६ | |
| ६] | श्री. नारायण गोगलूजी भैश्राम, वॉक्स कॉलोनी, नागपुर-१४ | |
| ७] | श्रीमती. मीनाताई चंद्रकांत जावडेकर, "कमलप्रभा" २ ^{गै} , धंतोली, नागपुर. | |
| ८] | श्रीमती लिलाताई तरजु भैश्राम, लकरीबाग, नागपुर-१७. | |
| | श्रीमती सुनिता राजेन्द्र वाघमारे, बाखेनगर, पांचपावली ३ २ २५३० नागपुर. | |

स्थल : नागपुर.


तारीख: २.१.९४

उपरोक्त व्यक्तियोंने मेरे सम्मुख इस विधानपत्र पर हस्ताक्षर किये और मे उन्हे प ह्वानता हूँ ।

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी/पकीत/सनटीलेखा नोटरी-पूरा नाम, पता एवं पता

Original to be
now this copy

मम ५/१/९४
५.१०



परिधिस्ट

"इंडीयन युथ वेलफेअर/मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इत संस्था निधिम

संविधान

Handwritten signature and date: 4/5/74

संस्था का कार्यालय :- इस संस्था का कार्यालय श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनीक
364 मौलाना आजाद मार्ग गन्धी नगर-10.
नागपुर १०

१. संविधान के संदर्भिय शब्दों की व्याख्या :-

- अ. संस्था अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर यह समझी जायेगी।
- ब. अध्यक्ष अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का अध्यक्ष समझा जायेगा।
- क. उपाध्यक्ष अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का उपाध्यक्ष समझा जायेगा।
- ड. सचिव अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सचिव समझा जायेगा।
- इ. सहायक सचिव अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सहायक सचिव समझा जायेगा।
- ई. कोषाध्यक्ष अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का कोषाध्यक्ष समझा जायेगा।
- सदस्य अर्थात् "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सदस्य समझा जायेगा।


संस्था का कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत रहेगा।

वित्तीय वर्ष :- इस संस्था का वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा।

४. संस्था की सदस्यता एवं उसकी प्रक्रिया :- कोई भी २१ वर्ष का भारतीय व्यक्ति संस्था का सदस्य हो सकता है। सदस्यत्व पंजीयन हेतु अध्यक्ष या सचिव के पास रुपये ५२- भुकर आभेदन करना होगा, तथा कार्यकारी मंडल के सर्वसम्मती से मंजूरी मिलने के उपरान्त निर्धारित सदस्यता शुल्क संस्था में जमा करने पर उसका नाम पंजीयन सदस्य सूची में किया जायेगा।

५. सदस्यता के प्रकार :-

- अ. आजीवन सदस्य - रुपये १००१/- *लिख कर सर्वसु अधिक* देने वाले व्यक्तियों संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।



अनाथा हो, पतनापिन होकर संस्था के कार्य में दखलदे रहा हो, संस्था में सदस्यता का राजीनामा दिया हो, बरकर नियमों का उल्लंघन करता हो, लगातार 3 सत्रों में योग्य कारण से अनुपस्थित रहता हो, संस्था में किसी भी प्रकार का गबन करता हो, तथा कितनी भी अनुचित कार्य में उन्हे सजा हुयी हो, सदस्यों में समय पूर्व न मरी हो तो उन्हे संस्था के हित में कार्यकारी मंडलकी सभा में प्रस्ताव पारित कर बहुमत से निकाला जायेगा।

७. आम सभा और उसके अधिकार :- आमसभा यह साल में कम से कम एक बार होगी। इस सभा में सभी प्रकार के सदस्य भाग ले सकेंगे। इस सभा का निर्णय यह अंतिम निर्णय व सर्व श्रेष्ठ निर्णय माना जायेगा।

१. कार्यकारी मंडल के कार्योंपर नियंत्रण रखना।
२. ३/५ सभासद्यों के बहुमत से संविधान में बदल करना।
३. पिछली आम सभा में स्विकार किये गये प्रस्ताव पटकर बताना।
४. पिछले जमा बर्च को स्विकृती देना।
५. नये साल के लिये बनाये गये अंदाजपत्र को मंजूरी देना।
६. सभासद्यों की ओर से आये हूये विषयों पर चर्चा करना।
७. अध्यक्ष की अनुमती से आनेवाले संस्था के अन्नती से संबंधित विषयों पर चर्चा करना आदि।

८. आम सभा की सूचना एवं गणपूर्ती :- आसमा की सूचना १० दिन पहले सदस्यों को देना चाहिए। नोटीस में स्थल, समय, तारीख एवं विषय स्पष्ट लिखा जायेगा। आम सभा की गणपूर्ती के लिये २/३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सभा की गणपूर्ती न होने पर स्थगित सभा उसी स्थल पर आये घंटे बाद ली जायेगी। उस सभा को गणपूर्ती की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी सूचना नोटीस बुक पर रहना आवश्यक रहेगा। तथा नोटीस बुक पर सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक रहेगा। सदस्यों के नोटीस बुक पर हस्ताक्षर न करने पर उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से या प्र.पी.सी. से नोटीस दिया जायेगा।

९. विशेष आमसभा एवं उसके कार्य :- आवश्यकता होनेपर संस्थाने आम सदस्य की विशेष आमसभा लेकर आवश्यकता नुसार निर्णय लिया जायेगा। सभा की सूचना सात दिन पहले देना होगा। सभा की २/३ गणपूर्ती आवश्यक रहेगी। सभा की गणपूर्ती न होने पर स्थगित सभा उसी स्थल पर आये घंटे बाद ली जायेगी। उस सभा को गणपूर्ती की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी सूचना नोटीस बुक पर रहना आवश्यक रहेगा। नोटीस बुक पर हस्ताक्षर लेकर सदस्यों की नोटीस दिया जायेगा।

रजिस्टर पोस्ट से अथवा प.पी.टी से नोटीस दिया जायेगा।

१६. संस्था के कार्यकारी मंडल एवं पदाधिकारियों की रचना :- इस संस्था के कार्यकारी मंडल में कुल नौ सदस्य रहेंगे। जिनमें निम्नलिखित पदाधिकार और सदस्य होंगे।

१. अध्यक्ष-१, २. उपाध्यक्ष-१, सचिव-१, ४. सहसचिव-१.

५. कोषाध्यक्ष-१, सदस्य - चार।

११. कार्यकारी मंडल का कार्यकाल एवं चुनाव की पध्दत :- कार्यकारी मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। कार्यकारी मंडल का चुनाव तथा पदाधिकार का चुनाव हर तीन वर्ष बाद आमसभा में सदस्यों के बहुमतों से किया जायेगा।

१२. कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी, उनके कार्य और दायित्व :-

अध्यक्ष :- १. संस्था की संपत्तियों पर तथा कार्यों पर निरीक्षण रखना.

२. रकम लेन देन संबंधी की व्यवहार करना. ३. संस्था के हित में सम समय पर मार्गदर्शन करना, सर्वे के बिलों के पर हस्ताक्षर करना, खाता की कीर्तियों पर सही करना, संस्था का पत्रव्यवहार करना, आवश्यक नियम करना आदि।

उपअध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करना तथा संस्था कार्य में मदद करना।

सचिव :- १. संस्था की सभा का नोटीस जारी करना, तथा सभा का आयोजन करना. २. सर्वसाधारण और कार्यकारी मंडल के सभा का प्रस्ताव प्रोत्तिंग बुक में लिखकर और उसे अंमल में लाना तथा आवश्यक नियम करना. ३. मेंबर शिप रजिस्टर, फेशल बुक, लेजर बुक, सर्वे के व्यवहार [टहाउचर] रसिद बुक लिखना. सर्वे के बिल मंजूर करना, तथा रोज खाता देखकर सही करना. ४. संस्था का पत्रव्यवहार करना, तथा आ कोर्ट कचहरी के कार्य करना. ५. पैसे के लेनदेन संबंधी व्यवहार करना, की संपत्तियों पर देखरेख करना. ६. संस्था के उद्देश की प्रगती के लिये तथा विकास हेतु प्रयास करना. सर्वे के लिये ५००/६०० पंच सौ स्वया जमा रखा जायेगा।

सहसचिव :- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य करना, संस्था कार्य में मदद करना।

कोषाध्यक्ष :- १. खाता रखना, लिखना तथा उसका जमा पत्रक तथा करना कार्यकारिणी की मंजूरी लेना और उसका ऑडिट करना।

२. रसिद बुकों पर हस्ताक्षर करना, उसका स्टॉक बुक बनाना।

कार्यकारी मंडल के सदस्य :- छायाकार मंडल के रूप में आम तौर पर ३/५ सदस्य

रहना तथा सभी विकासशील कार्य में मदद करना। चुनाव में मतदान करना।

अन्य सदस्य :- आम सभा में उपस्थित रहना। चुनाव में मतदान करना एवं संस्था को आवश्यक मदद करना।

१३. कार्यकारी मंडल की सभा एवं अनुरोध सभा :- कार्यकारी मंडल की सभा तीन महीने में एक बार ली जायेगी। २/३ सदस्यों के लिखित अनुरोध पर सात दिन के अंदर सभा आयोजित की जायेगी।

१४. कार्यकारी मंडल के सभा की सूचना तथा गणसंख्या :- कार्यकारी मंडल के सभा की सूचना ७ दिन पहले सदस्यों को दी जायेगी। सूचना में स्थल, स तारीख, विषय स्पष्ट लिखा जायेगा। गणसूची के लिये २/३ सदस्यों की उपस्थिती आवश्यक रहेगी। नोटीस ब्रक पर सही लेकर सदस्यों को नोट दिया जायेगा। नोटीस ब्रकर सही न करने पर रजिस्टर्ड पोस्ट से अथवा सु.पी.सी से नोटीस दिया जायेगा।

१५. कार्यकारी मंडल के चुनाव के लिये बहिष्कृत नियम :- १. सदस्यों की ओर संस्था की किसी भी प्रकार की रकम बकाया होगी उसे संस्था के चुनाव में भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा। २. एक वर्ष साधारण सदस्य रहने पर मतदान का अथवा चुनाव में भाग लेने का अधिकार रहेगा। ३. चुनाव की तारीख की सूचना पंधरा दिन पूर्व लिखित नोटीस द्वारा दी जानी चाहिये। ४. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति ३० दिन पूर्व करना चाहिये। ५. चुनाव सर्वसाधारण सदस्यों के बहुमतों में आम सभा में किया जायेगा।

१६. कार्यकारी मंडल के रिक्त पद भरने बाबत :- किसी हस्ती के त्यागपत्र ले मुत्स्य या किसी कारणवश कोई भी पद की जगह रिक्त होनेपर व जगह कार्यकारी मंडल बहुमतों से उस कार्यकारी मंडल के कार्यकाल तक के भरेगी।

अ. त्यागपत्र देना : पदाधिकारियों को त्यागपत्र देना हो तो उन्होंने त्यागपत्र अध्यक्ष अथवा सचिव को देना चाहिये।

ब. त्यागपत्र स्वीकार करना : त्यागपत्र मिलने पर उसे कार्यकारी मंडल की सभा में रखा जायेगा। कार्यकारी मंडल की सभा में स्वीकृती मिले पर त्यागपत्र स्वीकार किया गया ऐसा माना जायेगा। त्यागपत्र स्वीकृत होने तक उनका पद सर्व सदस्यता कायम रहेगी।

वर्ष में कमसे कम चार सभाओं होनी चाहिए।

१. सर्वसाधारण सभा में पारित किये गये प्रस्तावों को अंमल में लाना।
२. पिछले सभा में संजूर किये गये प्रस्ताव पढकर बताना।
३. संस्था के कार्योंपर और संपत्तियों पर निरीक्षण रखना।
४. संस्था के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें निकालना, उनपर निरीक्षण रखना, जिससे संस्था का कार्य सूचारु रूप से चले।
५. निधी, दान, अनुदान आदि स्विकृत करना।
६. नये सदस्यों के आवेदन पर चर्चा करना, उन्हें स्विकृती देना, अथवा नहीं देना।
७. संविधान में संशोधनपर चर्चा करना और उसे स्विकृति के लिये सर्वसाधारण सभा में रखना।
८. कार्यकारिणी में रिक्त हूयी जगह को भरना।
९. उपशाखा और उपसमितियों की नियुक्ति करना।
१०. अल्पसंख्यक की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा करना।

१८. संस्था की आय :-

इस संस्था की आमदनी का साधन प्रवेश फी, सभासद वार्षिक फीस, घंटा, दान, अनुदान, निधी तथा किसी व्यक्ति या बैंक से प्राप्त रकम आदि।

१९. उधेस्यों पर खर्च बाबद प्रावधान :- संस्था द्वारा शैक्षणिक उधेस्यों पर ५०%, सामाजिक २०%, सांस्कृतिक १०%, शारिरीक १०%, नैतिक मानसिक और बौद्धिक १०% खर्च किया जायेगा।

२०. कर्ज या अमानत लेने संबंधी प्रावधान :- संस्था को आवश्यकता होनेपर किसी भी व्यक्ति या सभासद से कर्ज या अमानत लिया जा सकेगा, इसलिये आवश्यकता पूर्व अनुमति या धुः परमादाय सह आयुक्त नागपुर से लेनी होगी।

कर्ज या अमानत लेने या राज्य खादी ग्रामोदयोग आयोग से या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकेगी। आवश्यकता नुसार संस्था की स्थावर संपत्ति खरीदी रख सकेगी। खादी ग्रामोदयोग आयोग की ओर से प्या हूट पात्रता प्रमाण पत्र मिलने पर संस्था बैंक से उधार ले सकेगी।

Jasvinder

जरूरी होने पर संस्था की अनावश्यक संपत्तियाँ बेची जा सकेंगी ।
स्थाई संपत्तियाँ बेचने के पहिले कार्यकारी मंडल का प्रस्ताव पारित कर
भा. धर्मादाय सह. आयुक्त. नागपुर से पूर्व अनुमती लेनी चाहिये ।

122. बैंक खाते :- इस संस्था की बकाया राशी किसी भी राष्ट्रीयकृत
बैंक में रखी जायेगी । रकम निकालने का अधिकार अध्यक्ष, सचिव
और कोषाध्यक्ष इनके होंगे । इनमें से किन्ही दो के संयुक्त सहो
से बैंक से रकम निकाली जायेगी ।

23. सदस्यों की सूची :- 1960 के संस्था पंजीयन अधिनियम 14 के
अनुसार संस्था के जो सभासद रहेंगे, उनकी एक सूची 1961 के संस्था
पंजीयन महाराष्ट्र नियम की धारा 10 के अंतर्गत अनुसूची क्रमांक 1,
नियम 12 अनुसार अनुसूचित क्रमांक 2 एवं नियम 14 अंतर्गत अनुसूची क्रमांक 6
के प्रोफार्म में रखी जायेगी ।

24. नियमावली में संशोधन संबंधी प्रावधान :- संविधान में संशोधन
करने की आवश्यकता हो तो सर्वसाधारण सभा में सदस्यों को 3/4
बहुमतो से प्रस्ताव मंजूर कर आवश्यक नये नियम तयार करना तथा नियम
कम करना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1960 के धारा 12 के अंतर्गत
कार्यवाही पूरी करनी चाहिये ।

25. संस्था के नाम और बुद्देश्यों में परिवर्तन के संबंधी प्रावधान :-
संस्था के नाम और बुद्देश्य में परिवर्तन करना हो या दो संस्था के
विलीनीकरण की आवश्यकता हो तो 1960 के संस्था पंजीयन अधिनियमों
की धारा 12 अथवा 12-अ के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिये ।

26. संस्था का विस्तार :- संस्था को विस्तारित करना हो तो
सर्वसाधारण सभा में 3/4 सदस्यों के बहुमतो से प्रस्ताव मंजूर करना होगा,
संस्था की शेष रकम या संपत्तियाँ किसी दूसरे संस्था को दान के रूप
में देना चाहिये । ऐसे ही संस्था में लेनदेन संबंधी व्यवहारों को पुरा
करना चाहिये, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1960 की धारा 13 और 14
के अंतर्गत संस्था विस्तार बाबद योग्य कार्यवाही करना चाहिये ।

